2018/00083

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
41/2018	26.12.2018	20/11/19

1. श्रीमती मडी देवी पत्नी लक्ष्मण जाति गुर्जर
2. श्रीमती फूला देवी पत्नी मोतीलाल निवासी पुरा जौलन्दा
3. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी रामचरण तहसील मलारनाडूंगर ––प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रसादी देवी पत्नी स्व0 सीताराम जाति मीना
2. मुकेश पुत्र स्व0 सीताराम निवासी पुरा पोस्ट जौलन्दा
3. शिवदयाल पुत्र स्व0 सीताराम तहसील मलारनाडूंगर
4. जमना देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण जिला सवाई माधोपुर
5. रमेश पुत्र स्व0 सीताराम
6. सुरेश पुत्र स्व0 सीताराम
7. मुकेशी पत्नी मुकेश
8. आशा पत्नी शिवदयाल
9. सीमा पत्नी रमेश
10. शरीफ पुत्र मनफूल जाति सांई निवासी जौलन्दा तहसील मलारनाडूंगर
11. बुन्दो पत्नी शरीफ जाति सांई निवासी जौलन्दा तहसील मलारनाडूंगर
12. साबू पुत्र मनफूल जाति सांई निवासी जौलन्दा तहसील मलारनाडूंगर
13. रसीदन पत्नी साबू जाति सांई निवासी जौलन्दा तहसील मलारनाडूंगर
14. अनवर पुत्र साबू जाति सांई निवासी जौलन्दा तहसील मलारनाडूंगर
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारनाडूंगर ––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री संजय शर्मा , एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 ता 9 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 751 रकबा 1.38 है0, ख0नं0 750 रकबा 0.05 है0 ग्राम जौलन्दा में स्थित है जिसमें प्रार्थिया संख्या 1 का हिस्सा 93 एयर, प्रार्थिया संख्या 1 का हिस्सा 25 एयर एवं प्रार्थिया संख्या 3 का हिस्सा 25 एयर मुताबिक जमाबंदी दर्ज है एवं इसी अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह भूमि पुरा जौलन्दा मुख्य डामर सडक से लगती हुई ग्राम जौलन्दा में स्थित है। यह भूमि पूर्व में

मनोज कुमार वर्मा
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

नन्दकिशोर पुत्र कल्याणमल जाति महाजन निवासी जौलन्दा हाल निवासी खिरनी के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिसे वादीगण ने दिनांक 5.6.2018 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की है जिसका नामान्तरकरण संख्या 577 दि0 25.6.2018 प्रार्थीगण के पक्ष में खोला जाकर खातेदारी दी गई है। उपरोक्त आराजी सडक के पास होने से जब डामर सडक बनाई गई थी तब प्रार्थीगण की उक्त आराजी में से ही चौकडियां खोदकर मिट्टी उठाई गई थी जिससे गड्डे हो जाने से फसल काश्त योग्य नहीं रही थी एवं मौके पर उसे खाली छोड रखा था इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी नं0 1 लगायत 14 ने उस पर अपना कब्जा व अतिक्रमण कर कच्चा पक्का निर्माण कर लिया जिसका उन्हें कोई हक प्राप्त नहीं था। अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने पर खातेदार नन्दकिशोर ने न्यायालय उपजिलाकलेक्टर मलारनाडूंगर में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा संख्या 61/2014 उनवानी नंदकिशोर बनाम सीताराम वगैरा पेश किया जिसमें दिनांक 20.4.2016 को निर्णय व डिक्री द्वारा अप्रार्थीगण को कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करने ना किसी अन्य से कराने हेतु पाबंद किया गया परन्तु अप्रार्थीगण ने इस आदेश व डिक्री की पालना नहीं की तब नन्दकिशोर द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसमें दिनांक 28.6.17 को निर्णय हुआ व पालना करने हेतु तहसीलदार मलारनाडूंगर को आदेश जारी किए गए परन्तु तहसीलदार मलारनाडूंगर ने कोई कार्यवाही नहीं की जिससे अप्रार्थीगण के हौंसले बुलन्द हो गए तथा उक्त आराजी पर पक्का निर्माण करने लगे जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण न्यायालय के दोनों निर्णयों को दरकिनार करते हुए दिनांक 15.12.18 को सडक की ओर पर्दे लगाकर अन्दर ही अन्दर पक्का निर्माण रात रात में करने लगे । इसका पता प्रार्थीगण को लगा तो प्रार्थीगण ने निर्माण करने से मना किया परन्तु अप्रार्थीगण झगडे पर उतारू हो गए तथा प्रार्थीगण व उसके परिजनों के विरूद्ध थाना बौली में एस0सी0/एस0टी0 का झूंठा मुकदमा दर्ज करवा दिया इससे पहले प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था उसी से बचने के लिए अप्रार्थीगण ने यह मुकदमा दर्ज करवाया। प्रार्थीगण के साथ निर्णय नहीं होने व दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज होने के कारण दिनांक 15.12.18 को वादकारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वादपत्र अप्रार्थी सं0 1 लगायत 14 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

जावे कि अप्रार्थीगण दौराने वादपत्र प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 750 रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 751 रकबा 1.38 है0 ग्राम जौलन्दा के सामने डामर सडक की ओर किसी प्रकार का कब्जा अतिक्रमण एवं कच्चा या पक्का निर्माण न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि एजेन्ट नौकर व परिजन से करावे तथा कब्जे वाली भूमि को पूर्णतया खाली कर देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 15 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 ने अपने जबाब व काउन्टर क्लेम में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 405 रकबा 42 बीघा 13 विवा रहा है जो सत्येन्द्र पाल सिंह राजपूत की खातेदारी की भूमि है। खातेदार सत्येन्द्रपाल सिंह ने प्रतिवादी को रिहायशी मकान बाडे बनाने के लिए अपनी खातेदारी भूमि में से जमीन मौखिक रूप से दी है तब से अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर मकान बाडा बनाकर रह रहे हैं। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि नन्दकिशोर महाजन से खरीदी है। नन्द किशोर की खातेदारी का पुराना ख0नं0 377 व 366 है। साबिक ख0नं0 405 में नवीन ख0नं0 773 रकबा 1.50 है0 को वर्तमान जमाबंदी में गै0मु0सडक अंकित कर रखा है। यह साबिक ख0नं0 377 व 366 ग्राम जोलन्दा का नवीन ख0नं0 750, 751 बने हैं। साबिक ख0नं0 405 बहुत बडा रकबा है। वर्तमान रोड पुराना ख0नं0 405 में होकर निकल रहा है। मौके पर रोड व पुराना ख0नं0 377, 366 के मध्य ख0नं0 405 की भूमि पर ही अप्रार्थीगण का मकान व बाडा बना हुआ है। पुराना नक्शा ट्रेस में रोड अपनी जगह पर बदस्तूर निकल रहा है। रोड व साबिक ख0नं0 377, 366 के मध्य भूमि पडी हुई है जो साबिक ख0नं0 405 की है जिस पर अप्रार्थीगण का बाडा व मकान बना हुआ है। हाल सेटिलमेंट में पूर्व खातेदार ने सेटलमेंट कर्मचारियों से मिली भगत कर नक्शा ट्रेस को रोड तक बना दिया जिसका नाजायज फायदा प्रार्थीगण प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है। मुताबिक नक्शा ट्रेस अप्रार्थीगण गै0मु0सडक व प्रार्थीगण की साबिक ख0नं0 377 व 366 के मध्य साबिक ख0नं0 405 में ही बाडा बना हुआ है जिसका नवीन ख0नं0 773 है जिसकी गिरदावरी खसरा परिवर्तनशील वर्ष 2013–14 में अंकित है

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
कामलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

जिसमें सीताराम पुत्र रामकुमार व लक्ष्मण पुत्र रामकुमार का गैरमुमकिन बाडा दर्ज है। अप्रार्थीगण का कब्जा पूर्व से ही चला आ रहा है। ख0नं0 750, 751 ग्राम जोलंदा का साबिक ख0नं0 377 व 366 के नक्शा ट्रेस के अनुसार ही नवीन नक्शा ट्रेस इन्द्राज दुरूस्त कर बनाया जावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी0आई0 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि ख0नं0 773 ग्राम जौलन्दा पर अप्रार्थीगण के मकान व बाडे के उपयोग उपभोग में बाधा स्वयं उत्पन्न नहीं करें एवं अपने नौकर व एजेन्ट से नहीं करावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, फोटोकोपी नकल विक्रय पत्र दिनांक 5.6.18, फोटोकोपी नकल निर्णय व डिक्री न्यायालय उपजिलाकलेक्टर मलारनाडूंगर दिनांक 20.4.2016, फोटोकोपी आर्डरशीट दिनांक 28.6.2017, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, फोटोकोपी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दिनांक 23.7.2018, दिनांक 8.8.2018, फोटोकोपी एफ0आई0आर0 दिनांक 17.12.2018, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में अप्रार्थी नं0 1 लगायत 9 की ओर से फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकोपी नकल साबिक नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2033 से 2036 प्रस्तुत की है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका रकबा 1.43 है0 है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी की इस भूमि पर कच्चा–पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है जिसे हटवाया जावे एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध सन् 2013–14 में धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही हुई है इसलिए भूमि से बेदखली की कार्यवाही सरकार करेगी। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु देखे जाने हैं। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। फोटोकोपी नकल विक्रयपत्र दिनांक 5.6.2018 के अनुसार यह भूमि प्रार्थीगण ने भूमि के पूर्व खातेदार नन्दकिशोर महाजन से खरीदी है। इस प्रकार अभिलेख से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है। अप्रार्थीगण ने उनका कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं बताकर ख0नं0 773 पर होना बताया है परन्तु भूमि पर अधिकार होने से सम्बन्धित कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण के केवल मात्र कह देने से ही भूमि पर उनका अधिकार नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के नाते भूमि पर उनका ही कब्जा माना जावेगा। इस प्रकार अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता है व अस्वीकार किए जाने योग्य है। चूंकि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की होने के नाते प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण का साबित है इसलिए सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही जाते हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दि0 26.12.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश मूल वाद के निर्णय होने तक पुष्ट (**confirm**) किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 20/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार वर्मा) 20/XI/19
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.22 13:26:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: